पत्रा० – ~~27~~ 25 (28)

संलग्नक–(1)

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट

जनपद बागपत / मेरठ में प्रा0खण्ड, लो0नि0वि0, बागपत द्वारा वन भूमि का संयुक्त निरीक्षण आज दिनांक 10.06.2015 को श्री राजेश कुमार उपराजिक, प्रभारी क्षेत्रीय वन अधिकारी बागपत एवं प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बागपत के प्रतिनिधि श्री मनवीर सिंह अवर अभियंता द्वारा किया गया। उक्त पहुंच मार्ग हेतु प्रस्तावित 1.215 हे0 लो0नि0वि0 के स्वामित्व वाली संरक्षित वन भूमि की मांग अपरिहार्य एवं न्यूनतम है। **उक्त पहुच मार्ग जनपद बागपत व मेरठ में है परन्तु लोक निर्माण विभाग बागपत एवं वन विभाग बागपत के कार्य क्षेत्र में आता है।** प्रस्तावित वन भूमि पर पहुंच मार्ग बनाया जाना अति आवश्यक है। अतः परियोजना में बाधक वृक्षों का कटान कराया जाना अपरिहार्य है। उन्हें याची विभाग/प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मौके पर कोई भी कार्य नहीं कराया गया हैं। अतः वन सुरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों का उल्लंघन नहीं किया गया है।

प्रस्तावित वन भूमि का आंकलन निम्नवत् है।

क्र0सं0	पहुंच मार्ग का विवरण		क्षेत्रफल (वर्ग मी0 में)
	(A) Distt. Meerut (Village Dhilora)	451.00× 19.45 मी0	8771.45 वर्ग मी0
	(B) Distt. Baghpat (Village Hariya khera)	223.00×15.15	3378.45 वर्ग मी0
	कुल क्षेत्रफल	(A+B)	12150.40 वर्ग मी0
		या	1.215 हे0

(मनवीर सिंह)
अवर अभियंता,
प्रा0खण्ड, लो0नि0वि0,
बागपत।

क्षेत्रीय वन अधिकारी
बागपत

(शिव कुमार)
सहायक अभियंता,
प्रा0खण्ड, लो0नि0वि0,
बागपत।

(बालेन्द्र)
अधिशासी अभियंता,
प्रा0खण्ड, लो0नि0वि0,
बागपत।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
बागपत

( )
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
बागपत।

प्रभागीय वनाधिकारी
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग,
बागपत

संलग्नक–

SITE INSPACTION REPORT NOT BELOW THE RANK OF DCF

(For the forest land to be diverted under FCA)

A Proposal has been received by this office fromExecutive Engineer, Provinicial Division P.W.D Baghapt . For diversion under (FCA-1980) of 1.215 Ha. of forest land non-forestry purpose. The Project envisages the use of forest land for construction of Approach Bridge. The site inspection of the land involved in the proposal has done by me on dated- 15-10-2015 .

On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is a Protect forest meansuring 1.215 Ha .

S.No	Approach Road/Bridge discription	Length(mt) X Breath(mt)	Areas (sq mt)
1	Dist Meerut (Village Dhilora)	451.00x 19.45	8771.45 sqm
2	Dist Baghpat (Village Hariya khera)	223.00x 15.15	3378.45 sqmt
	Total Area	(1 + 2) OR	12150.40 sq mt 1.215 Ha

The requirement of forest land as proposed by the user agency in col. 2 part -1 is unavoidable and is barest minimum required for the project.

Whether any rare/endangered/unique species of flora and fauna found in the area. If, so the details there of **:- NIL**

Whether any protected archeological/heritage site/defense establishment or any other important mounuments is locaed in the area, if so the details there of with NOC from competent authority, if required :- **NIL**

(a) The user agency has not violated the provisions of forest (Conservation), Act 1980 and no work has been started without proper sanction. No violation under FCA. **:- Yes**

(b) It has been found that the user agency has viotated the forest (Conservation), Act 1980 provisions. A detail report as per para 1.9 of chapter 1, Para c of Handbook of forest (Conservation), Act 1980 is Attached:-. **NIL**

Specific recommendation for acceptance of otherwise of the proposal.

Recommended.

Place :- Baghpat.
Date :- 15/10

15/10

Divisional Director
Social Forestry Division
Baghpat.

प्रभागीय वनाधिकारी
बागपत वन प्रभाग,
बागपत

संलग्नक–(02)

प्रस्तावित वन भूमि हस्तान्तरण सम्बन्धी लैण्ड शैड्यूल

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद बागपत/मेरठ में प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, बागपत द्वारा गढ़–मेरठ–बागपत–सोनीपत मार्ग मार्ग के किनारे प्रस्तावित एप्रोच मार्ग निर्माण हेतु लो०नि०वि० के स्वामित्व वाली निम्नानुसार संरक्षित वन भूमि की आवश्यकता है:–

क्र0सं0	विवरण	लम्बाई (मी0 में)	चौड़ाई (मी0 में)	क्षेत्रफल (वर्ग मी0 में)
1	बागपत–मेरठ राज्य मार्ग कि0मी0 71 में हिण्डन सेत के दायीं ओर (बागपत की ओर) एवं बायीं ओर (मेरठ की ओर)।			
	सेतु के दाई ओर जनपद बागपत में (ग्राम हरियाखेड़ा)	223.00	15.15	3378.45
	सेतु के बाई ओर जनपद मेरठ में (ग्राम ढिलौरा)	451.00	19.45	8771.95
	Total			12150.40
			OR	1.215 है0

अधिशासी अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
बागपत।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
बागपत

प्रभागीय वनाधिकारी
बागपत वन प्रभाग,
बागपत

संलग्नक 23

प्रस्तावित वन भूमि हस्तान्तरण सम्बन्धी लै[illegible] शैड्यूल
(मुख्य मंत्री घोषणा सं० CH 110000667A Y-92/2013)

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद बागपत मेरठ में प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०, बागपत द्वारा गढ–मेरठ–बागपत सोनीपत मार्ग के किनारे प्रस्तावित एप्रोच मार्ग निर्माण हेतू लो०नि०वि० के स्वामित्व वाली निम्नानुसार संरक्षित वन भूमि की आवश्यकता है:–

Baghpat Side				Meerut side			
Ch.	Toatal Forest	Forest Area Tarnsfered	Balance	Ch.	Toatal Forest	Forest Area Tarnsfered	Balance
0 To 100	100.00x24.00=2400	100.00x16.24=1624.00	776.00	295.40 to 316.23 (Bridge Portion)	20.83x12.00=249.96	20.83x12.00= 249.96	Nill
100 To165.5	66.50x24.00=1572	65.50x16.24=1063.72	508.28	316.23 to 416.23	100.00x24.00=2400.00	100.00x19.81=1981.00	419.00
165.5 to 223 (Bridge Portion)	57.50x12.00=690	57.50x12.00= 690.00	Nill	416.23 to 516.23	100.00x24.00=2400.00	100.00x19.81=1981.00	419.00
				516.23 to 616.23	100.00x24.00=2400.00	100.00x19.81=1981.00	419.00
				616.23 to 716.23	100.00x24.00=2400.00	100.00x19.81=1981.00	419.00
				716.23 to 746.40	30.17x24.00= 731.52	30.17x19.79= 597.10	134.52
Total	**4662**	**3377.72**	**1284.3**	**Total**	**10581.48**	**8771.06**	**1810.52**
	0.466 Hect	0.338 Hect	0.128 Hect			0.877 Hect	0.181 Hect

Junior Engineer
P.D., PWD.
Baghpat

Assistant Engineer
P.D., PWD.
Baghpat

Executive Engineer
P.D., PWD.
Baghpat

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
बागपत

प्रभागीय वनाधिकारी
बागपत वन प्रभाग,
बागपत

संलग्नक (02 अ)
पृ० सं० – ~~27~~ 28
31

सामाजिक वा...

४० ०३ - 36 ~~38~~ (37)

परिशिष्ट ८ ३(ब)

VAN BIBHAG
MISCELLANEOUS
FEBRUARY 10, 1960.

No.115/XIV-331-50- Whereas the Government, Uttar Pradesh is of the opinion that the making of enquiry and record contemplated under sub-section(3) of section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. XVI of 1927), will occupy such length of time as in the meantime to endanger the rights of the State Government. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to the aforesaid sub-section and by sub-section (1) of the said section, read with section 80-A of the aforesaid Act, the Governor of Uttar Pradesh is pleased to declare that pending such enquiry and record the provisions of Chapter IV of the said Act to be applicable to the land specified in the schedule hereto.

SCHEDULE

District	Sl. No.	Name of road	Mileage to be declared as Reserved or protected Forest. M.	Fg.	Ft.	M.	Fg.	Ft.	Description of boundaries
1	2	3	4			5			6
						31	2	0	The
1. Meerut	1	Meerut Baghpat road	3	0	0	24	2	0	boundary
	2	Baghpat-Saharanpur	1	0	0	9	0	0	of the
	3	Baraut-Chanruali	1	0	0	17	2	250	land has
	4	Baghpat-Loni Shahdra	0	0	0	17	0	0	been
	5	Meerut-Nawana	2	0	0	29	0	0	demarcated
	6	Meerut-Bulandshahar	2	0	0	55	0	0	on the
	7	D.R.M. Road	41	0	0	873	0	0	ground
	8	G.T. Road	870	0	0	6	0	0	by stone
	9	Begamabad-Basatikri	1	0	0	0	2	106	pillar
	10	Moradnagar Railway Feeder.	0	0	0	0	0	640	-do-
	11	Modinagar Railway Feeder.	0	0	0	0	4	10	-do-
	12	Mohiddenpur Railway Feeder.	0	0	0	0			-do-
	13	Meerut-Sardhana Road	0	0	426	12	3	320	-do-
	14	Daurala-Sardhana	2	[illegible]	0	6	4	260	
	15	Bulandshahar-Siana Garh Road	0			31 and mile			-do-
			24	[illegible]	0	32 fg. 1 to 3			
						200			-do-
				[illegible]			3	200	-do-
					0	31	8	0	-do-
	16	Meerut-Bareilly	23	9	0	28	3	0	
	17	National High way Rt. No. 24	28	[illegible]	0	3			
			3				2	70	-do-
	18	G.T. Road (Ghaziabad to Uttar Pradesh border)		0	548	879	1	251	
			874			6	6	249	-do-
				0	0	21	6	338	-do-
	19	Ghaziabad-Hapur Road	1			2	4	70	
				0	484	19			
	20	Hapur-Garh Road	1						-do-
			56	0	0	791	0	0	-do-
2. Muzaffarnagar.	1	D.R.M. Road	From Khatauli to mile			2	0	31	-do-
	2	Khatauli-Jansath-Mirapur-Bijnore	24	6	0	31	0	0	
	3	Muzaffarnagar-Shamli-Kairana	2	0	0				
	4	Muzaffarnagar-[illegible]	M77 of D.R.M. road to M.10 of Muzaffarnagar Saharanpur Road.						-do-

प्रभागीय वनाधिकारी
[illegible] वन प्रभाग
बागपत

1	2	3	4	5
17.	Bhognipur Branch of the Lower Ganga Canal from mile 0 - 0 to 106-7 falling within the Jurisdiction of the following canal division. (1) Mainpuri division. (2) Bhognipur Division.	Mainpuri Etawah, and Kanpur.	106-7-0	The boundary of the land has been demarcated on the ground by stone pillars or boundary ditches.
18.	Etawah Branch of the Lower Ganga Canal from mile 0-0 to mile 136-0 falling with in the jirisdiction of the following canal divisions. (1) Mainpuri Division. (2) Etawah Division. (3) Kanpur Division.	- do -	136-0-0	- do -

BY order
ZAHURAL HASAN
SECRETARY

प्रभागीय वनाधिकारी
बागपत वन प्रभाग,
बागपत

संख्या-87आ0/23-10-14-32(सेतु)/2014

प्रेषक,

संजीव कुमार,
विशेष कार्याधिकारी,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास),
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-10 — लखनऊ: दिनांक 20 जनवरी, 2015

विषयः- वित्तीय वर्ष 2014-15 में राज्य योजना (सामान्य) के अंतर्गत जनपद बागपत में ग्राम बालौनी के निकट हिन्डन नदी पर संकरे सेतु के स्थान पर नये सेतु के निर्माण कार्य हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्र संख्या-774/प्रा0आग0-बागपत/सेतु-6/14, दिनांक 14.11.14 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद बागपत में ग्राम बालौनी के निकट हिन्डन नदी पर संकरे सेतु के स्थान पर नये सेतु के निर्माण कार्य हेतु अनुमोदित लागत रू0 1173.65 लाख (रूपये ग्यारह करोड़ तिहत्तर लाख पैंसठ हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये धनराशि (पूर्णांक में) रू0 235.00 लाख (रुपये दो करोड़ पैंतीस लाख मात्र) की श्री राज्यपाल महोदय निम्न विवरणानुसार तथा निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों सहित अवमुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रूपये में)

क्रम सं0	कार्य का विवरण	आंकलित लागत	वित्तीय वर्ष 2014-15 में आवंटन	अनुदान सं0-57 का अंश	अनुदान सं0-8[illegible] का अंश	कार्यदायी संस्था
1	2	3	4	5	6	7
अ-1	सेतु की लागत(लं0 149.55 मी0)	462.81	235.00	185.00	50.00	सेतु निगम
2	5 प्रतिशत कमी करते हुये लागत	439.67				
3	लेबर सेस 1 प्रतिशत	4.40				
4	सेंटेज चार्ज 12.5 प्रतिशत	54.96				
	योग-	499.03				
ब-1	पहुंच मार्ग की लागत	141.75				लोक निर्माण विभाग
2	अति0 पहुंच मार्ग की लागत	44.23				
3	सुरक्षात्मक कार्य की लागत	127.41				
	योग-	313.39				
4	कन्टीजेंसी 1 प्रतिशत	3.13				
5	लेबर सेस 1 प्रतिशत	3.13				
6	मूल्य ह्रास निधि 1.5 प्रतिशत	4.70				

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0 नि0 वि0

१० पृ०-२० (23)

7	अधिष्ठान व्यय 6.875 प्रतिशत	21.55				
8	भूमि अध्याप्ति की लागत	298.72				
9	वन विभाग/विद्युत विभाग हेतु लागत	30.00				
	योग-	674.62				
	महायोग:-	1173.65	235.00	185.00	50.00	

(1) परियोजना की लागत का अधिष्ठान व्यय चालू वित्तीय वर्ष में लेखा शीर्षक 1054-सड़क तथा सेतु-800-अन्य प्राप्तियां-05-अधिष्ठान व्यय की प्राप्तियों में जमा की जायेगी।

(2) प्रश्नगत कार्य हेतु आंकलित लागत में 01 प्रतिशत लेबर सेस आंकलित किया गया है जो इस शर्त के अधीन है कि यह उपकर श्रम विभाग को वास्तविक रूप से भुगतान किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायगी।

(4) स्वीकृत धनराशि कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0 में न रखी जाय। स्वीकृत धनराशि अनुमोदित कार्यों पर ही व्यय की जायेगी।

(5) कार्य की विशिष्टियां मानक एवं गुणवत्ता की जिम्मेदारी प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग/कार्यदायी संस्था की होगी। कार्य एवं फंडिंग की डुप्लीकेसी न हो, यह भी प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) प्रश्नगत परियोजना सम्बन्धी निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व शासनादेश संख्या-831/23-1-10(रिट)/10, दिनांक 20.04.10 के अनुपालन में सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि समस्त अपेक्षित अनापत्तियां प्राप्त कर ली गई हैं।

(7) मूल्य ह्रास निधि की 1.50 प्रतिशत सुसंगत लेखाशीर्षक में जमा करायी जायेगी।

(8) भूमि की अध्याप्ति सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) सेतु की लम्बाई/चौड़ाई में परिवर्तन, स्वीकृत परियोजना के स्कोप में परिवर्तन आदि वित्त समिति की का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। अनुमोदित कार्यों की तकनीकी स्वीकृति निर्गत करने से पूर्व विस्तृत डिजाइन/ड्राइंग बनाते समय प्रायोजना लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव पर 03 माह के अंदर समिति का पुनः अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। अन्यथा पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव लागत पर विचार नहीं किया जायेगा।

(10) सेतु निर्माण में एबटमेन्ट व उससे एडज्वायनिंग स्पान में डेक स्तर तक का कार्य प्राथमिकता पर किया जाय एवं पहुंच मार्ग का कार्य भी सेतु निर्माण के साथ साथ सम्पादित किया जाय पहुंच मार्ग व सेतु पर आवश्यकतानुसार रोड सेफ्टी के कार्य भी कराया जाय।

(11) नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाया

(12) कार्यदायी संस्था /विभाग द्वारा नियमानुसार विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृत प्राप्त करने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाय ।

(13) प्रायोजना की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से विभागाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

क्रमशः---------

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0 नि0 वि0
बागपत

पृ० 10 - 24

(14) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग योजना आयोग भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा एस०सी०एस०पी०/टी०एस०पी० हेतु निर्धारित मानक एवं दिशा-निर्देशों के अनुसार व्यय की जायेगी।

2- प्रश्नगत कार्य पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में राज्य योजना(सामान्य) में अनुदान संख्या-57 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय- आयोजनागत-04-जिला तथा अन्य सड़कें-101-पुल 0403-ग्रामीण सेतुओं का निर्माण-24-वृहत् निर्माण कार्यमद एवं अनुदान सं0-83 के अंतर्गत लेखाशीर्ष 5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनागत-04-जिला तथा अन्य सड़कें-789-अनुसूचित जातियों के विशेष घटक योजना-20-ग्रामीण सेतुओं का निर्माण कार्य-24-वृहद निर्माण कार्य के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वहन किया जायेगा तथा उक्त कार्य के खाते डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-यू0ओ0-ई0-8-133/दस-2015, दिनांक 16 जनवरी, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(संजीव कुमार)
विशेष कार्याधिकारी।

संख्या-87आ0(1)/23-10-15-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, प्रथम (निर्माण), उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- मण्डलायुक्त, मेरठ /जिलाधिकारी, बागपत ।
3- प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, लखनऊ।
4- मुख्य अभियन्ता, पश्चिमी क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, मेरठ।
5- मुख्य अभियन्ता (सेतु) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8।
7- समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)।
8- राज्य योजना आयोग अनुभाग-1/2 ।
9- वेब अधिकारी, लो0नि0वि0, उ0प्र0 शासन/गार्ड फाइल।
10- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी/निजी सचिव, मा0 लोक निर्माण मंत्री जी।

आज्ञा से,

(काशी प्रसाद तिवारी)
अनु सचिव।

True copy

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड [illegible] नि० वि०
बागपत

पृ०सं०-42(47)

संलग्नक—(05)

क्षतिपूर्क वनीकरण की धनराशि भुगतान करने हेतु वचनबद्धता

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद बागपत/मेरठ में प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बागपत द्वारा 1.215 हे0 **लो0नि0वि0 के स्वामित्व वाली संरक्षित वन भूमि** के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति हेतु भेजे जा रहे प्रस्ताव में भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा वांछित क्षतिपूरक वनीकरण की धनराशि के भुगतान हेतु वचनबद्धता दी जाती है। साथ ही इस सम्बन्ध में भारत सरकार/राज्य सरकार/माननीय न्यायालयों के द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों/निर्देशों के अनुपालन हेतु भी वचनबद्धता दी जाती है।

अधिशासी अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
बागपत।

अधिशासी अभियंता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
बागपत

प्रभागीय वनाधिकारी
बागपत वन प्रभाग,
बागपत

पृ० नं० - ~~42~~ 46 (15)

संलग्नक—(04)

<u>एन0पी0वी0 की धनराशि जमा कराने हेतु वचनबद्धता प्रमाण—पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद बागपत/मेरठ में प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बागपत द्वारा 1.215 हे0 **<u>लो0नि0वि0 के स्वामित्व वाली संरक्षित वन भूमि</u>** के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति हेतु भेजे जा रहे प्रस्ताव में भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा वांछित एन0पी0वी0 (शुद्ध वर्तमान मूल्य) की धनराशि भुगतान हेतु वचनबद्धता दी जाती है। साथ ही इस सम्बन्ध में भारत सरकार/राज्य सरकार/माननीय न्यायालयों के द्वारा समय—समय पर जारी आदेशों/निर्देशों के अनुपालन हेतु भी वचनबद्धता दी जाती है।

अधिशासी अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
बागपत।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
बागपत

प्रभागीय वनाधिकारी
बागपत वन प्रभाग,
बागपत

पृ० सं०-5/56

संलग्नक–(12)

"वन स्वरूप क्षेत्र" सम्बन्धी प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद बागपत/मेरठ में प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, बागपत द्वारा जनपद प्रस्तावित पुल तक एप्रोच मार्ग निर्माण हेतु वांछित 1.215 हे0 **लो०नि०वि० के स्वामित्व वाली संरक्षित वन भूमि** के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति हेतु भेजे जा रहे प्रस्ताव में 1.215 हे0 संरक्षित वन भूमि के अतिरिक्त चिन्हित "वन स्वरूप क्षेत्रों" की कोई भूमि सम्मिलित नहीं है।

क्षेत्रीय वन अधिकारी
बागपत

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
बागपत।

प्रभागीय वनाधिकारी
बागपत वन प्रभाग,
बागपत

FORM-1

(For Liner Projects)

Office of the District Magistrate, Meerut

No. 1638/106   Date 14-9-2015

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No. 01-9/98-FC(pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ("FRA", for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposed read with MOEF'S letter dated 5th February 2013 and 11-9/98-fc(pt) dated 28th Oct. 2014 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear project, it is certified that 0.879 Hectares of forst land proposed to be diverted in favour of P.D., P.W.D. Baghpat for Construction of Approach Road of Hindon Bridge at Balaini falls within jurisdiction of 01 village-Dhilora in Meerut Tehsil at Meerut Baghpat Road Km. 70

It is further certified that the forst land proposed was notified as "forest" on 10-02-1960 which is less than 75 years prior to the 13th day of December 2005 and is located in village- Dhilora having no recored population of Scheduled Tribes as per census 2001 and Census 2011.

District Magistrate
Meerut.

प्रभागीय वनाधिकारी
बागपत वन प्रभाग
बागपत

FORM-1

(For Liner Projects)

Office of the District Magistrate, Meerut

No. ...1450.../. 10C Date....26/8/15

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No. 01-9/98-FC(pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ("FRA", for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposed read with MOEF'S letter dated 5th February 2013 and 11-9/98-fc(pt) dated 28th Oct. 2014 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear project, it is certified that 0.335 Hectares of forst land proposed to be diverted in favour of P.D., P.W.D. Baghpat for Construction of Approach Road of Hindon Bridge at Balaini falls within jurisdiction of 01 village- Haria Khera in Baghpat Tehsil at Baghpat, Baghpat Road Km. 70

It is further certified that the forst land proposed was notified as "forest" on 10-02-1960 which is less than 75 years prior to the 13th day of December 2005 and is located in village- Haria Khera having no recored population of Scheduled Tribes as per census 2001 and Census 2011.

District Magistrate
Baghpat

प्रभागीय वनाधिकारी
बागपत वन प्रभाग
बागपत

क्र0 सं0	विषय सूची	पृष्ठ संख्या
1	शीर्षक पेज	1
2	विषय सूची	2
3	आवेदन प्रपत्र – भाग– I	3–12
4	प्रपत्र – भाग– II	13–18
5	प्रपत्र – भाग– III	19
6	प्रपत्र – भाग– IV	20
7	प्रपत्र – भाग– V	21
8	प्रस्तावित सेतु की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति.	22–24
9	डिजीटल मानचित्र .	25–26
10	टोपो मैप अनुमाप– 1:50000.	27
11	संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट.	28
12	प्रभागीय वनाधिकारी, बागपत की साईट इन्सपेक्शन रिपोर्ट.	29
13	संरक्षित वनभूमि का विवरण	30
14	गजट नोटिफिकेशन	32–38
15	मनक शर्ते	39–40
16	बाधक वृक्षों की सूची.	41
17	बाधक वृक्षों की प्रजातिवार, व्यासवर्ग वार सारांश.	42–43
18	वन भूमि की मांग न्यूनतम होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र.	44
19	शुद्ध वर्तमान मूल्य (N.P.V.) जमा करने सम्बन्धी प्रमाण पत्र.	45
20	क्षतिपूरक वनीकरण हेतु वचनबद्धता प्रमाण पत्र.	46
21	वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लघंन न करने सम्बन्धी प्रमाण पत्र.	47
22	राष्ट्रीय धरोहर न होने का प्रमाण पत्र.	48
23	प्रस्तावित कार्य करने के उपरान्त ट्रेन्चों/गडढों को पूर्ववत स्थिति में लाने हेतु बचनबद्धता.	49
24	वनाधिकार अधिनियम– 2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी स्तर से उपलब्ध प्रमाण पत्र	50–51
25	भू–स्वामित्व विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र	52
26	मक डिस्पोजल योजना.	53
27	राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य आदि का भाग/हिस्सा के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र.	54
28	वन स्वरूप क्षेत्र से सम्बन्धित प्रमाण पत्र.	55
29	क्षतिपूरक वनीकरण योजना का प्राक्कलन.	56–59
30	क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित भूमि का उपयुक्तता प्रमाण पत्र.	60
31	क्षतिपूरक वनीकरण कराये जाने वाले चयनित स्थल का डिजीटल मैप	61
32	क्षतिपूरक वनीकरण कराये जाने वाले चयनित स्थल का टोपो मैप अनुमाप– 1:50000.	62